Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

30 जुलाई 2019
नई दिल्ली

पॉपुलर फ्रंट का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में बदलाव का सुझाव

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा देश की जनता के सामने पेश किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश में शिक्षा की मौजूदा प्रणाली के आकलन और संशोधन का एक प्रयास है। इस उद्देश्य के तहत सरकार मसौदे में जो बदलाव चाहती है वह ना तो संभव है और ना ही दुरुस्त। दाखिले, समानता, जवाबदेही, कम खर्च और गुणवत्ता को मसौदे के मूलभूत सिद्धांतों के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन मसौदे में दिए गए प्रस्तावों, सिफारिशों और चूक के बारे में कई सवाल अब भी बाकी हैं। इस मसौदे पर दोबारा गौर करके सिर्फ प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि मध्यकालीन और आधुनिक विचारकों के योगदान को सामने रखते हुए मसौदे में सब को शामिल करने की ज़रूरत है। मोहम्मद अली जिन्ना ने सरकार से फाइनल मसौदा तैयार करते समय संगठन के निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करने का आग्रह किया है।

भारतीय भाषाओं का विकास निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है लेकिन इसको अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों को उन भाषाओं को चुनने की आज़ादी दी जानी चाहिए जो वे अपनी घरेलू और माध्यम की भाषाओं के साथ पढ़ना चाहते हैं।

तीन भाषाओं का फार्मूला अनिवार्य न किया जाए और छात्रों को भाषा चुनने की आजादी दी जाए।

वंचित वर्गों को वास्तविक रूप से देश की मुख्यधारा से जोड़ने और शिक्षा के मैदान में उनके अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में दिए गए कामों को पॉलिसी में ज़रूर शामिल किया जाना चाहिए।

प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के ढांचे को आबादी के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए और देश के पिछड़े इलाकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हमारे संविधान में दिए गए और शिक्षा का अधिकार एक्ट द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी नागरिकों को शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए शिक्षा के अधिक से अधिक निजीकरण से बचने और सरकारी सेक्टर को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक रूप से कमज़ोर वर्गों को राष्ट्रीय शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के उसूल के तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की अंडर–ग्रेजुएट और पोस्ट–ग्रेजुएट क्लासों में दाखिले के मौजूदा मापदंड में संशोधन किया जाए। शैक्षिक मापदंड उम्मीदवारों की योग्यता के मापदंड का सिर्फ 60 प्रतिशत होना चाहिए। बाकी 40 प्रतिशत में उम्मीदवारों के पिछड़ेपन को जिला और समुदाय के पिछड़ेपन और परिवार की कम आमदनी के आधार पर देखा जाना चाहिए।

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे अंतर–सामुदायिक शैक्षिक सेवाएं हैं और देश में शिक्षा की कोशिशों में इनका काफी योगदान रहा है। मदरसों को प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के संविधान तथा राष्ट्रीय शिक्षा के फ्रेमवर्क में मुनासिब तरीके से पेश किया जाए।

डॉ० मुहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली